



कायालय कलेक्टर (आबकारी), जिला अन्पूर् (मध्यप्रदेश)

अन्पूर् दिनांक: 10 जून 2020

कमांक/आब./टका/2020/

विषय

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी फुटकर ठेकदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के निर्देशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि अन्पूर् जिले में वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित 03 एकल समूह में विभाजित 04 टेंडरों मद्दिया टुकान एवं 07 विदेशी मद्दिया टुकान की फुटकर ठेकी की टुकानों का संचालन वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु पुनर्निर्माण के बीच लगने वाले समयवाधि के लिये वर्ष 2020-21 के लिये प्राप्त वार्षिक मूल्य के आधार पर 01 दिन के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध निर्देश/आफर के माध्यम से निर्माण कलेक्टर अन्पूर् की अखिला में गठित जिला समिति द्वारा कलेक्टर समाकष अन्पूर् में मध्यप्रदेश राज. पत्र (असाधारण) कमांक 77 दिनांक 25.02.2020 एवं राजापत्र 176 दिनांक 23.05.2020 में प्रकाशित की गई शर्तों एवं निर्देशों के अधीन दिनांक 12.06.2020 दिन शुक्रवार को टेंडर के माध्यम से निर्माण की जायेगी।

टेंडर प्रपत्र के विषय एवं जमा हेतु समय व दिनांक

1	मद्दिया टुकानों के टेंडर प्रपत्र विषय का स्थान एवं तिथि एवं समय	जिला आबकारी अधिकारी कायालय अन्पूर् से दिनांक 10.06.2020 एवं 11.06.2020 की अवधि में कायालयीन समय में तथा 12.06.2020 को दोपहर 14:30 बजे तक
2	मद्दिये टेंडर प्रपत्र जमा करने का स्थान एवं तिथि एवं समय	जिला आबकारी अधिकारी कायालय अन्पूर् में दिनांक 12.06.2020 को दोपहर 15:00 बजे तक
3	टेंडर प्रपत्र को खोल कर निर्माण की कार्यवाही का स्थान एवं तिथि एवं समय	कलेक्टर समाकष अन्पूर् में दिनांक 12.06.2020 दिन शुक्रवार को साय 16:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक

टेंडर प्रपत्र का मूल्य प्रति एकल समूह रुपये 10000/- निर्धारित है। टेंडर प्रपत्र का विषय जिला आबकारी अधिकारी अन्पूर् के पक्ष में सायबर टेंडरी जमा बालन के विरुद्ध किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति द्वारा उक्त मद्दिया टुकानों का विवरण, संबंधित नियमों आदि की जानकारी, आवेदन पत्र के संचालन लिये जाने वाले अभिलेखों का विवरण आदि टेंडर फार्म का निर्धारित शर्तक जमा कर जिला आबकारी अधिकारी अन्पूर् के कार्यालय में कायालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

(जिला समिति द्वारा अज्ञात)

जिला आबकारी अधिकारी
 वरसे - कलेक्टर
 जिला अन्पूर् (म.प्र.)
 अन्पूर्, दिनांक 10 जून 2020

पृष्ठांकन क्रमांक/आब./टका/2020/556

प्रतिपत्र :-

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश गलियार की ओर सूचनाएं प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, अन्पूर् की ओर सूचनाएं प्रेषित।

3. उपर्युक्त आबकारी, सामान्य उद्देश्य, सेवा (म.प्र.) की ओर सूचनाएं प्रेषित।

4. मूल्य कार्यपालन अधिकारी (जिला प्रवाय), अन्पूर् की ओर सूचनाएं प्रेषित।

5. सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी, जिला - की ओर सूचनाएं प्रेषित।

6. अतिरिक्त आबकारी (राज्य) जिला - अन्पूर् (म.प्र.) की ओर सूचनाएं प्रेषित।

7. पर बंधन करने हेतु।

जिला अन्पूर् अन्पूर्, अन्पूर् की ओर सूचनाएं एवं उपरोक्तानुसार विवरण को समाचार के रूप में स्थानीय एवं सामान्य पत्र के समस्त समाचार-पत्रों में निर्देशक प्रकाशित करने का कष्ट करे।

8. सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मध्य प्रदेश आबकारी, जिला आबकारी/आबकारी

उप निर्देशक, वल - की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक समर्थित कार्यवाही हेतु अप्रतिपत्र।

जिला आबकारी अधिकारी
 वरसे - कलेक्टर
 जिला अन्पूर् (म.प्र.)